

बोर्ड, परिषद

(क) अनुसूचित जाति/अन्य पिछ़ड़ा वर्गों का कल्याण इत्यादि

- लबाणा कल्याण बोर्ड
- अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड
- अन्य पिछ़ड़ा वर्ग कल्याण बोर्ड
- कबीरपंथी कल्याण बोर्ड
- गोरखा कल्याण बोर्ड
- राज्य स्तरीय सर्तकता एवं प्रबोधन समिति
- जिला कल्याण समितियां

(ख) महिलाएं एवं बच्चे

- महिलाओं के संशक्तिकरण के प्रभावी कार्यान्वयन एवं समीक्षा हेतु जिला स्तरीय महिला परिषद ।
- नेशनल पलान ऑफ एक्शन टू कम्बैट ड्रैफिकिंग एण्ड सैक्सुअल एक्सप्लाएटेशन ऑफ बूमैन एण्ड चिल्ड्रन के अन्तर्गत राज्य स्तरीय समन्वय समिति ।
- नेशनल पलान ऑफ एक्शन टू कम्बैट ड्रैफिकिंग एण्ड सैक्सुअल एक्सप्लाएटेशन ऑफ बूमैन एण्ड चिल्ड्रन के अन्तर्गत राज्य स्तरीय इन्टरएक्टिव कमैटी ।
- स्वयंसिद्धा के अन्तर्गत खण्ड स्तरीय परियोजनाओं के अनुमोदन हेतु राज्य स्तरीय स्कीनिंग एवं रिव्यू कमैटी ।
- भारत सरकार की परियोजनाओं की स्वीकृति कि लिय छानबीन एवं सिफारिश हेतु राज्य स्तरीय संशक्तिकरण समिति ।
- हिंदू प्रदेश प्लान ऑफ एक्शन फॉर चिल्ड्रन के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु राज्य स्तरीय समिति ।
- आई०सी०डी०एस० के अन्तर्गत राज्य स्तरीय समन्वय समिति
- राज्य स्तरीय पोषाहार समिति ।
- आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को राज्य स्तरीय व राष्ट्रीय पुरस्कार के उद्देश्य से बनाई गई राज्य स्तरीय चयन समिति ।
- घर्षे के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति ।
- स्वयंसिद्धा की समीक्षा एवं कार्यान्वयन हेतु जिला स्तरीय समिति ।
- आगन्वाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के शिकायत निवारण हेतु राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति ।
- आगन्वाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के शिकायत निवारण हेतु जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति ।

(ग) विकलांगता

- व्यक्ति जिनमें अक्षमताए है (समान अवसर ,अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 के कार्यन्वयन की समीक्षा हेतु राज्य स्तरीय समन्वय समिति ।
- व्यक्ति जिनमें अक्षमताए है (समान अवसर ,अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 के अन्तर्गत प्रावधानों पर लिये गए निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति ।
- व्यक्ति जिनमें अक्षमताए है (समान अवसर ,अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 के अन्तर्गत आरक्षण तथा रोजगार के अवसर के प्रबोधन हेतु राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति की उप समिति ।
- हिंप्र० विकलांग कल्याण बोर्ड उपरोक्त बोर्डों के सरकारी एवं गैर सरकारी सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किया जाता है। इन बोर्डों/समितियों की बैठकों का कार्यवाही विवरण समस्त सदस्यों एवं विभागों को भेजा जाता है। कार्यवाही विवरण आम जनता को सुगमता से उपलब्ध होता है ।